समुद्री वनस्पतिजात एवं जीवजात की जैव सक्रियता के लिए जांच एवं चिर चित्रण किया जाना है । औषधियों के विकास के लिये जैव सक्रियता के संबंध में आशाजनक वनस्पतिजात एवं जीवजात पर अनुधान जारी है ।

Publication of Civil Lists

3209. SHRI CHATURANAN MISH-RA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the approximate dates of publication of the latest Civil Lists of various All India Services and Central Government Services like IAS, CAS, IPS, 1FS. CCS, etc;

(b) which are priced publication for public sale; and

(c) whether some of them are for De partmental only; if so, the reasons for which they are not made available to public in these days of open Govern ment, fair play, transparency, etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (b) This Department publishes Civil Lists annua'ily during Feb/Mar. in respect of the Indian Administrative Service Officers which are priced publications for public sale.

(c) Does not arise.

तकनीकी काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

3210. **श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तकनीकी काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की क्या आयु तय की गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि तकनीकी काम के लिये नियुक्त कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में ही कई वर्ष लग जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तय करेगी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती मारगेट आल्वा) : (क) से (ङ) कामगारों तथा समूह "घ" पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों जैसी कतिपय श्रेणियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये अधिवार्षिता की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है । किन्तु परमाणु ऊर्जा विभाग, अन्तरिक्ष विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के संबंध में अधिवार्षिता की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है । प्रशिक्षण., अन्तर्लयन अथवा कार्य करने की अवधि अधिवार्षिता की आयु निर्धारित करने के लिये कोई संगत कारण नहीं है, इसलिये तकनीकी कार्मिकों की अधिवार्षिता की आयु 65 वर्ष निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Cases decided by CAT against Garem-ment

3211. PROF. VIJAY KUMAR MAL-HOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more then fifty per cent of the cases adjudicated by the Central Administrative Tribunal were decided against Government as per the sample analysis carried out by the DepWt-ment of Personnel & Training;